(50)

E न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2643-पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 28-2-2015 पारित द्वारा कलेक्टर, जिला इंदौर प्रकरण क्रमांक 202/क.री./2015.

श्रीमती जमीलाबी पति एस.एम. सिद्दीक
निवासी 43, गफूर खां की बजरिया, इंदौर .....आवेदिका

विरूद्ध

1. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर, जिला इंदौर
2. नजूल अधिकारी, जिला इंदौर
3. प्रभारी अधिकारी, भू-अभिलेख, जिला इंदौर
4. अनुविभागीय अधिकारी, राऊ अनुभाग तहसील इंदौर
5. अपर तहसीलदार, राऊ अनुभाग तहसील इंदौर .....अनावेदकगण

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक, आवेदिका
श्री अजय चतुर्वेदी, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15/11/18 को पारित)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत कलेक्टर, जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28-2-2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदिका द्वारा ग्राम राऊ स्थित सर्वे क्रमांक 1094/2 रकबा 2.023 एवं सर्वे क्रमांक 1094/3 रकबा 2.023 हेक्टेयर भूमि पर बटांकन तरमीम संशोधन करने हेतु तहसीलदार, इंदौर के समक्ष संहिता की धारा 73 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अपर तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 29/अ-6-अ/2013-14 दर्ज कर दिनांक 10-9-2014 को आदेश पारित कर संशोधन तरमीम प्रस्ताव स्वीकृत किया गया ।

तदोपरान्त अपर तहसीलदार, इंदौर द्वारा तत्कालीन तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 10-9-2014 में निजी भूमि का संशोधित तरमीम प्रस्ताव शासकीय भूमि में स्वीकृत किये जाने से आदेश में अनियमितता होने से उक्त आदेश स्वमेव निगरानी में लिये जाने हेतु अनुविभागीय अधिकारी, राऊ के माध्यम से प्रकरण कलेक्टर, जिला इंदौर को प्रेषित किया गया । कलेक्टर द्वारा प्रकरण क्रमांक 202/क.री./2015 दर्ज कर दिनांक 28-2-2015 को आदेश पारित कर तत्कालीन अपर तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 29/अ-6-अ/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 10-9-2014 निरस्त किया गया । कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर द्वारा आवेदिका को सूचना, सुनवाई एवं साक्ष्य का विधिवत अवसर दिये बिना ही आलोच्य आदेश पारित करने में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत की अवहेलना की गई है, जो प्रथम दृष्टाया ही निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि कलेक्टर द्वारा आवेदिका को पक्षकार नहीं बनाया गया है, जबकि वह प्रकरण में आवश्यक एवं हितबद्ध पक्षकार है, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश से आवेदिका के हित प्रभावित हो रहे हैं । तर्क में यह भी कहा गया कि वर्ष 1997-98 के नक्शे से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन सर्वे क्रमांक 1094, 1094/1, 1094/2 एवं 1094/3 की नक्शे से तरमीम नहीं उठाई गई है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदिका द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 27-2-08 के माध्यम से प्रश्नाधीन भूमि क्रय कर, कब्जा प्राप्त किया था । प्रश्नाधीन भूमि की स्थिति नक्शे में पूर्ववत बनी हुई थी, जिसके आधार पर तहसील न्यायालय द्वारा बटांकन किया गया था और उक्त बटांकन विभागों की सहमति के आधार पर किया गया था । इस आधार पर कहा गया कि सहमति के आदेश के विरूद्ध अपील अथवा निगरानी ग्राह्य योग्य ही नहीं है, जिस पर बिना विचार किये आदेश पारित करने में कलेक्टर द्वारा विधिक त्रुटि की गई है । यह भी कहा गया कि कलेक्टर त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष निकाला गया है कि आवेदिका के आवेदन पत्र में अंगूठा निशानी अंकित नहीं है, समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित की गई है, जिसमें आपत्ति आना संभव नहीं है । विज्ञप्ति की तामील किस स्थान पर चस्पा की गई, स्पष्ट नहीं है । तहसीलदार का आदेश अधिकारिता रहित है और तहसीलदार द्वारा शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 1094/1क शिफ्ट करने का आदेश दिया है । तहसीलदार द्वारा किस धारा के अंतर्गत आदेश दिया है, यह उल्लेख नहीं है । इस संबंध में वास्तविकता यह है कि आवेदन पत्र में हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशानी आवश्यक नहीं है, फिर इस प्रकार आवेदिका का अंगूठा निशानी लगा हुआ है । समाचार पत्र में विज्ञप्ति का विधिवत

प्रकाशन कराया गया है, जिस पर कोई आपत्ति नहीं आई है । विज्ञप्ति की तामीली विधिवत रूप से की गई है एवं तहसीलदार द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए विधि प्रावधानों का स्पष्ट उल्लेख करते हुए विधिवत रूप से आदेश पारित किया गया है । जहां तक शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक1094/1क के शिफ्ट करने का प्रश्न है, जो कि नहीं किया गया है, बल्कि आवेदिका द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से जो भूमि क्रय की गई है, विक्रय पत्र अनुसार उसी भूमि पर उसका बटांकन वास्तविक स्थल के अनुसार नक्शे में होने से किया गया है । इस प्रकार तहसीलदार का आदेश विधिसंगत है, जिसे बिना किसी आधार के निरस्त करने में कलेक्टर द्वारा पारित आदेश अवैध, अनुचित एवं विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है ।

उनके द्वारा कलेक्टर का आदेश निरस्त किया जाकर, तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10-9-2014 स्थिर रखने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तत्कालीन तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 29/अ-6-अ/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 10-9-2014 द्वारा निजी भूमि के बटांकन का शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 1094/1क में बटांकन स्वीकृत किया गया है, जो कि अधिकारिता रहित आदेश है । अत: उक्त आदेश में अनियमितता पाये जाने पर प्रकरण स्वमेव निगरानी में लिये जाने हेतु तहसील न्यायालय द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर द्वारा प्रकरण स्वमेव निगरानी में लेकर विधिवत आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । उनके द्वारा कलेक्टर का आदेश यथावत रखने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । जब प्रश्नाधीन भूमि सर्वे क्रमांक 1094/2 एवं 1094/3 पूर्व से ही नक्शे में निर्मित हैं, तब तत्कालीन तहसीलदार को उसी भूमि का बटांकन करना चाहिए था, किन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं कर उक्त सर्वे नम्बरों की भूमि को शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 1094/1'क' में बटांकन स्वीकृत किया गया है, जो कि अवैधानिक एवं अनियमित एवं अधिकारिता रहित आदेश है । इस संबंध में कलेक्टर द्वारा विवेचना उपरांत स्पष्ट निष्कर्ष निकालते हुए आदेश पारित कर तत्कालीन तहसीलदार का आदेश निरस्त किया गया है, जिसमें कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं होने से उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की

आवश्यकता नहीं है । दर्शित परिस्थिति में आवेदिका द्वारा प्रस्तुत तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार कलेक्टर, जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28-2-2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर